न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 204/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सुखराम पुत्र स्व0 भागचंद 2– जगदीश पुत्र स्व0 भागचंद 3– गौतमचंद पुत्र स्व0 भागचंद 4– श्रीमती धाई पत्नी स्व0 भागचंद सभी जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील ओसियां, जिला जोधपुर		1– लाधुराम पुत्र रामचन्द्र 2– भगवानाराम पुत्र रामचन्द्र दोनो जाति विश्नोई निवासीगण सिगडसर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 3– सहीराम पुत्र स्व0 रणजीताराम 4– मोहनराम पुत्र स्व0 रणजीताराम 5– गणपतराम पुत्र स्व0 रणजीताराम 6– श्रीमती बाधू पत्नी रणजीताराम 7– बगडावतराम पुत्र स्व0 खीयाराम 8– मूलाराम पुत्र स्व0 खीयाराम 9– रामूराम पुत्र स्व0 कानाराम 10–गोपीराम पुत्र स्व0 कानाराम 11–हजारीराम पुत्र स्व0 कानाराम 12–समदी पत्नी स्व0 सुखराम 13–डिम्पल पुत्री स्व0 सुखराम अवयस्क जरिये माता समदी पत्नी स्व0 सुखराम 14–पिण्टू पुत्र स्व0 सुखराम अवयस्क जरिये माता समदी पत्नी स्व0 सुखराम 15–सुगनी पत्नी स्व0 कानाराम प्रत्यर्थी संख्या 3 से 15 सभी जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर 16–सोहनी पुत्री स्व0 कानाराम पत्नी मेहराजराम पूनिया जाति विश्नोई निवासी भीयासर तहसील फलोदी 17–बलवंताराम पुत्र स्व0 प्रहलादराम 18–राजीबाई पुत्री स्व0 प्रहलादराम पत्नी भजनलाल गोदारा हैराजगा 19–परमी पुत्री स्व0 प्रहलादराम पत्नी हीराराम खिलेरी 20–मोहनी पुत्री स्व0 प्रहलादराम पत्नी ओमप्रकाश भादू प्रत्यर्थी संख्या 17 से 20 सभी जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर 21–गनीषकुमार पुत्र स्व0 पूनाराम 22–कैलाश पुत्र स्व0 पूनाराम 23–किशनाराम पुत्र नरसिंगाराम 24–गंगादेवी पत्नी स्व0 नरसिंगाराम प्रत्यर्थी संख्या 21 से 24 सभी जाति विश्नोई निवासी सिंगडसर तहसील लोहावट जिला जोधपुर 25–सुखराम पुत्र स्व0 बरसिंगाराम 26–श्रवणकुमार पुत्र बरसिंगाराम 27–पांचाराम पुत्र स्व0बरसिंगाराम 28–जोधाराम पुत्र स्व0 फगलूराम प्रत्यर्थी संख्या 25 से 28 जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर 29–बीरबलराम पुत्र स्व0 मालाराम 30–सजना पत्नी स्व0 मालाराम

		31–भंवरलाल पुत्र स्व0 मानाराम 32–रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 मानाराम 33–मनोहरलाल पुत्र स्व0 मानाराम प्रत्यर्थी संख्या 29 से 33 जाति विश्नोई निवासी सिंगडसर तहसील लोहावट जिला जोधपुर 34–मोहनी पुत्री स्व0 मानाराम पत्नी भवंरलाल राव जाति विश्नोई निवासी लूम्बारामनगर–लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 35–रोशनी पुत्री स्व0मानाराम पत्नी हीराराम मेहला जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण 36–मोहनी पत्नी स्व0 नारायणराम 37–महीपाल पुत्र स्व0 नारायणराम 38–राजाराम पुत्र स्व0 नारायणराम 39–श्रवणराम पुत्र स्व0 नारायणराम 40–मानाराम पुत्र स्व0 धुडाराम 41–रूगनाथराम पुत्र स्व0 लुम्बाराम सभी जाति विश्नोई निवासी सिगंडसर तहसील लोहावट 42–गैनाराम पुत्र स्व0 साजनराम जाति विश्नोई हाल निवासी पल्ली तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 43–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2004 अनवान लादूराम वगैरा बनाम सरकार वगैरा मे निर्णय दिनांक 27–6–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री एल.एल.शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व 25 से 31 की ओर से ।
3– श्री प्रेमकुमार विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 3 से 6, 8 से 24 व 32 से 42 की ओर से ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 43 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21–6–2019

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम लोहावट विशनावास वर्तमान राजस्व ग्राम सिंगडसर के खसरा नंबर 1828 रकबा 309 बीघा 04 बिस्वा स्थित है, जिसका पर्चा लगान वक्त सेटलमेंट खीयां, नरींगा, फगलू पिता बना, लादू पुत्र रामचन्द्र 1/3 हिस्सा, रूगनाथ वल्द लुम्बा 1/3 हिस्सा तथा काना वल्द सम्भू 1/3 हिस्सा का था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि खातेदार कानाराम पुत्र शम्भुराम

तथा रघुनाथ पुत्र लुम्बा ने अपना सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा दिनांक 6–11–1957 को जरिये बेचाननामा प्राथीगण तथा खींया, नरींगा, फगलु पुत्र बना तथा माना वल्द सुरजन को बेचान कर दिया था तथा इस बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 262 स्वीकृत किया गया लेकिन उक्त बेचान की गई भूमि का इन्दाज जमाबंदी मे नही किये जाने से विकेतागण के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज यथावत रह गया इसलिए जमाबंदी मे उनका नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरस्त करने तथा विकेता का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–17 के द्वारा स्वीकार करते हुए ग्राम सिंगडसर तहसील लोहावट स्थित खसरा नंबर 1828 रकबा 309 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे दर्ज भागचंद पुत्र भरमल, कानाराम पुत्र शभ्भूराम, मानाराम पुत्र धुडाराम, रूगनाथ पुत्र लुम्बाराम, गेनाराम पुत्र साजनराम नामो की प्रविष्टियों को हटाने व प्रार्थी संख्या 1 का 7/18 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 4/18 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 का 5/18 हिस्सा एवं इनके कायम मुकाम, अप्रार्थी संख्या 22 का 2/18 हिस्सा एवं इनके का.मुकाम दर्ज करने के आदेश पारित करते हुए तहसीलदार लोहावट को तदनुसार अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि खसरा नंबर 1828 रकबा 309 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से अपीलाथीगण तथा उनके पूर्वज भागचंद पुत्र भारमल का नाम खातेदारी से हटाने का आदेश सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड का परीक्षण किये बिना ही पारित करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया अपीलांटगण एवं उनके पूर्वज स्व0 बन्ना की जागीर काल से दर्ज खातेदारी मे होने से तथा बंदोबस्त संवत 2012 की खतोनी तैयार करते समय बन्ना के लडके सुरजन व भारमल के लडको का नाम दर्ज करने से रह गये जिसको बाद मे खतोनी मे दुरस्त होकर दर्ज किये है । अधीनस्थ न्यायालय ने जागीरकाल के बापी पट्टे की प्रविष्टियों की जांच किये बिना अपीलार्थीगण का नाम खातेदारी से हटाने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेकर्ड दुरस्ती के प्रार्थना पत्र पर भू अभिलेख अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फलोदी को समस्त राजस्व रेकर्ड जागीर काल की खतौनी तलब कर उसकी जांच एवं परीक्षण करने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड की जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 22–5–19 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उसमे यह कथन किया

कि नवसृजित ग्राम सिंगडसर तथा पूर्व ग्राम लोहावट बिसनोयावास का प्रथम भू माप संवत 1999 मे हो गया था जिसमे विवादित भूमि खसरा नंबर 1828 रकबा 309 बीघा 4 बिस्वा के 1/3 भाग के अपीलांटगण के पडदादा स्द0 बन्ना व उनके भाई तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज गोरखा बराबर के खातेदार थे । उक्त खातेदार बन्ना व उसके पुत्र सुरजनराम व अपीलांट के दादा भारमल का देहांत संवत 2012 से पहले हो गया था इसलिए संवत 2012 की खतौनी बन्ना के लडके खीयाराम फगलूराम व नरसिंगाराम के नाम जारी कर दी उसमे अपीलांटगण के पिता भागचंद का नाम दर्ज करने से रह गया परंतु आगे के वर्षो मे खतौन मे अपीलांटगण के पिता का नाम काबिज खातेदार एवं बन्ना के वारिस होने से दर्ज कर दिया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने खतौनी संवत 1996 से 1999 का परीक्षण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करने तथा अपीलांटगण का नाम खातेदारी से हटाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–6–2017 को निरस्त कर उक्त अपील के पद संख्या 2 मे वर्णित अनुसार समस्त भूमि खसरा नंबर का राजस्व रेकर्ड दुरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व0 बन्ना के बापी पट्टे के हिस्से की भूमि मे अपीलार्थीगण का नाम दर्ज करने व रेकर्ड मे दुरस्त करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1, 2, एवं 25 से 31 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय मे दिनांक 22–5–2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का जवाब एवं अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात प्रथम भू माप के विवादित भूमि की खतौनी संवत 1996–1999 को स्वीकार करते हुए अपीलांटगण का नाम विवादित भूमि के 1/3 हिस्से मे प्रत्यर्थी संख्या 3 से 35 के साथ दर्ज करने एवं निरंतर रखने मे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को कोई एतराज नही होना तथा तद्नुसार अपीलांटगण सुखराज वगैरा की अपील स्वीकार करने पर कोई एतराज नही होना कथन किया साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलांटगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के बीच गांव मे रजाबंदी हो गई है इसलिए अपीलांट के प्रार्थना पत्र अनुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 3 से 6 एवं 8 से 24 एवं 32 से 42 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रस्तुत अपील के संबंध मे पक्षकारो के बीच अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी मे एक वाद विचाराधीन है ऐसे मे नियमित वाद के निर्णय से ही पक्षकारो के हक अधिकारो का निर्धारण संभव है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि के खातेदारी अधिकारो के संबंध मे इन्ही पक्षकारो के बीच नियमित वाद विचाराधीन था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के

प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश नियमित वाद के निर्णय तक नही किया जाना चाहिये था, पक्षकारो के अधिकारो का बेहतर निर्धारण नियमित वाद के निर्णय से ही होना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरों आदि का भी अध्ययन किया, इसके अलावा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी अध्ययन किया, जो इस प्रकार है– **Sec. 136 – Correction of errors—The Land Records Officer may, at any time, correct or causeto be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:**

Provided that when any error is noticed by any Revenue Officer in any record of right during the course of his inspection, no erro shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

उक्त धारा 136 के प्रावधानो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय का अध्ययन करने पर यह प्रकट है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जिस तरह की इस्तदुआ चाही गई थी, हु–ब–हु प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय नियमित वाद के निर्णय के माफिक पारित कर दिया जबकि धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त करने संबंधी आदेश पारित किया जा सकता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्ही पक्षकारो के बीच एक नियमित वाद अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विचाराधीन है, तो उक्त वाद के निर्णय से ही पक्षकारो के हक अधिकारो का बेहतर निर्धारण होना है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 के प्रार्थना पत्र मे ऐसा अपीलाधीन आदेश पारित नही किया जाना चाहिये था जैसाकि वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 310 की निर्णय नजीर मे ऐसा ही अभिनिर्धारित किया है।

वर्तमान अपील मे अपीलांट अधिवक्ता ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 22–5–19 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उसमे यह कथन किया कि नवसृजित ग्राम सिंगडसर तथा पूर्व ग्राम लोहावट बिसनोयावास का प्रथम भू माप संवत 1999 मे हो गया था जिसमे विवादित भूमि खसरा नंबर 1828 रकबा 309 बीघा 4 बिस्वा के 1/3 भाग के अपीलांटगण के पडदादा स्व0 बन्ना व उनके भाई तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज गोरखा बराबर के खातेदार थे । उक्त खातेदार बन्ना व उसके पुत्र सुरजनराम व अपीलांट के दादा भारमल का देहांत

संवत 2012 से पहले हो गया था इसलिए संवत 2012 की खतौनी बन्ना के लडके खीयाराम फगलूराम व नरसिंगाराम के नाम जारी कर दी उसमे अपीलांटगण के पिता भागचंद का नाम दर्ज करने से रह गया परंतु आगे के वर्षो मे खतौनी मे अपीलांटगण के पिता का नाम काबिज खातेदार एवं बन्ना के वारिस होने से दर्ज कर दिया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने खतौनी संवत 1996 से 1999 का परीक्षण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए उक्त उपरोक्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया तथा रेस्पो0 संख्या 1, 2, एवं 25 से 31 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी अपीलांट अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय मे दिनांक 22–5–2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का जवाब एवं अपनी बहस मे अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात प्रथम भू माप के विवादित भूमि की खतौनी संवत 1996–1999 को स्वीकार करते हुए अपीलांटगण का नाम विवादित भूमि के 1/3 हिस्से मे प्रत्यर्थी संख्या 3 से 35 के साथ दर्ज करने एवं निरंतर रखने मे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को कोई एतराज नही होना तथा तद्नुसार अपीलांटगण सुखराज वगैरा की अपील स्वीकार करने पर कोई एतराज नही होने बाबत कथन के साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलांटगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के बीच गांव मे रजाबंदी हो गई है इसलिए अपीलांट के प्रार्थना पत्र अनुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासगिक है कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संबंध मे इन्ही पक्षकारो के बीच नियमित वाद विचाराधीन है ऐसे मे इस अपील मे जरिये अपीलांट अधिवक्ता ने जिस तरह की इस्तदुआ अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. मे चाही है तथा उसके अनुरूप रेस्पो0 संख्या 1, 2, एवं 25 से 31 अधिवक्ता ने सहमति प्रकट की है तो यह सभी अभिकथन एवं दस्तावेज पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन नियमित वाद की कार्यवाही मे प्रस्तुत कर समुचित पैरवी कर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकते है क्योंकि नियमित वाद के निर्णय से ही सभी पक्षकारो के अधिकारो की घोषणा संभव है । परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 21–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर